[2014] 14 एस. सी. आर. 279

टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

(2143 में 2283,3088,3461,3479,3693 के साथ संख्या 2143, 827, 1122, 1337, 1473 और 1473 में 1620 और 1693 और बी 3618)

में

(लिखित याचिका (सिविल) संख्या 202/1995)

12 मार्च, 2014

[ए. के पटनाइक, सुरिंदर सिंह निजार और

फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे. जे.]

पर्यावरण कानूनः

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986: गुडलूर और नीलगिरी वन-जनहित याचिका-उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विनाश जिसके परिणामस्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन तमिलनाडु राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करता है-अनिवार्य वनीकरण कोष-अनिवार्य वनीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए कुछ धन जारी करने की मांग करने वाले विभिन्न राज्यों द्वारा-आई.ए. जारी किए गए-आयोजितःदिनांक 10 जुलाई 2009 का संशोधित आदेश-राष्ट्रीय सीएएमपीए सलाहकार परिषद (एनसीएसी) ने 1 मई, 2014 से पहले उन गतिविधियों के बारे में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने और जारी का निर्देश दिया, जिनके लिए सीएएमपीए निधियों का

उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी और जिन गतिविधियों के लिए सीएएमपीए निधियों के उपयोग पर एक सीमा लागू होगी-इन दिशानिर्देशों का राज्य सीएएमपीए-तदर्थ सीएएमपीए द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के क्रेडिट में पड़ी मूल राशि के 10 प्रतिशत के बराबर वार्षिक राशि जारी करने की अनुमति दी गई है, जो वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बाद से उसके द्वारा प्राप्त ब्याज में से है-तदर्थ सीएएमपीए के पास उपलब्ध राशि में से कोई भी राशि हस्तांतरित या उपयोग किए जाने के लिए बिना अनुमति के जारी नहीं की जाएगी।

तत्काल रिट याचिका पश्चिमी घाट पर नीलगिरी वन में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए और उनकी ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका के रूप में दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु राज्य, कलेक्टर, नीलगिरी जिले और जिला वन अधिकारी, गुडलूर और टिम्बर समिति के गुडलूर और नीलगिरी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को नष्ट करने के कार्यों की वैधता को चुनौती देने की मांग की। वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और तमिलनाडु हिल स्टेशन वृक्ष संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन क्योंकि इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करने वाले गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन हुए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने कुछ निहित स्वार्थों के साथ मिलकर पेड़ों को काटने और वन भूमि को वृक्षारोपण में बदलने के उद्देश्य से वन भूमि पर अतिक्रमण करने और प्रवेश करने की अनुमति दी है और वन अधिकारियों, लकड़ी ठेकेदारों और स्थानीय अधिकारियों के बीच सुव्यवस्थित रैकेट मौजूद हैं जो वन संरक्षण अधिनियम का घोर उल्लंघन करते हुए पेड़ों और लकड़ी को काटने और हटाने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

तत्काल वार्ताकार आवेदन पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में सामान्य या विशिष्ट निर्देशों की मांग करते हुए दायर किए गए थे। उच्चतम न्यायालय संबंधित विशेषज्ञ निकायों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विभिन्न केंद्रीय/राज्य प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले संरक्षित उपायों के प्रवर्तन की लगातार निगरानी कर रहा है। न्यायालय ने 29 अक्टूबर, 2002 को ध्यान दिया कि विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों से एकत्र की गई राशि, जिन्हें गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, का उपयोग इस तरह के प्रतिपूरक वनीकरण के लिए नहीं किया जा रहा था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ.) को एक ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जिसके तहत, जब भी गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोगकर्ता को बदलने के लिए कोई अनुमति दी जाती है, और अनुमति की शर्तों में से एक यह है कि, प्रतिपूरक वनीकरण होना चाहिए, तो इसकी जिम्मेदारी उपयोगकर्ता-एजेंसी की है और आवश्यक कार्य करने के लिए एक राशि अलग रखने की आवश्यकता होनी चाहिए। सी. ई. सी. ने इस मुद्दे की जांच की और सिफारिश की कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए एक अलग कोष बनाना वांछनीय होगा, जिसमें उपयोगकर्ता-एजेंसियों से प्राप्त सभी धन जमा किया जाएगा और बाद में आवश्यकता पड़ने पर सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किया जाएगा। किसी विशेष राज्य से प्राप्त धन का उपयोग उसी राज्य में किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच इस बात पर सहमति थी कि इस तरह का कोष बनाया जाए। यह भी सिफारिश की गई थी कि निधि संघ या सभी राज्यों या भारत की समेकित निधियों के सामान्य राजस्व का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। सी. ई. सी. रिपोर्ट में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपयोगकर्ता-एजेंसियों की भागीदारी पर भी विचार किया गया। इसके अनुसार, पर्यावरण मंत्रालय ने 23 अप्रैल, 2004 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की खंड 3 (3) के तहत एक प्राधिकरण के रूप में "प्रतिपूरक

वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)" का गठन करते हुए एक अधिसूचना जारी की। दुर्भाग्य से, उक्त अधिसूचना केवल कागज पर ही रह गई और इसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आज तक कार्यात्मक नहीं बनाया गया था। एन. पी. वी., प्रतिपूरक वनीकरण आदि के लिए उपयोगकर्ता-एजेंसियों से प्राप्त भारी राशि बिना किसी प्रभावी नियंत्रण और निगरानी के विभिन्न प्राधिकरणों के पास पड़ी थी क्योंकि एम. ओ. ई. एफ. द्वारा सीएएमपीए अधिसूचना को चालू नहीं किया गया था। इसलिए, 5 मई, 2006 के आदेश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने सीएएमपीए के चालू होने तक एक तदर्थ निकाय के गठन के लिए सीईसी द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया। सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को 29 अक्टूबर, 2002 के आदेश के अनुरूप 30 अक्टूबर, 2002 से एकत्र की गई राशि का लेखा-जोखा रखने और उक्त तदर्थ निकाय (तदर्थ सीएएमपीए) को भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। सी. ई. सी. द्वारा सुझाव दिया गया था कि 'सी. ए. एम. पी. ए.' की ओर से वसूल किए गए सभी धन और जो वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास पड़े हैं, उन्हें इस निकाय द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाए और 'सी. ए. एम. पी. ए.' की ओर से उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धन और विभिन्न राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उस पर अर्जित आय का लेखा-परीक्षण कराया जाए। इन सुझावों को स्वीकार कर लिया गया। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, पहले से प्राप्त धन के साथ-साथ एन. पी. वी. आदि के लिए प्राप्त धन को तदर्थ सी. ए. एम. पी. ए. में स्थानांतरित कर दिया गया और राष्ट्रीय बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया गया। 2 अप्रैल, 2009 को, एमओईएफ ने "राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राज्य सीएएमपीए) के दिशानिर्देश" जारी किए। 10 जुलाई, 2009 के आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि एमओईएफ द्वारा तैयार किए गए राज्य सीएएमपीए के दिशानिर्देशों और संरचना को अधिसूचित और

लागू किया जा सकता है। न्यायालय ने तदर्थ सीएएमपीए को अगले पांच वर्षों के लिए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मूल राशि के 10 प्रतिशत के अनुपात अन्य बातों के साथ साथ प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ रुपये जारी करने की भी अनुमति दी, बशर्ते कि राज्य महालेखाकार वार्षिक आधार पर राज्य सीएएमपीए निधियों से प्रत्येक वर्ष किए गए व्यय का लेखा-जोखा करेगा। यह भी निर्देश दिया गया कि राज्य सीएएमपीए को जारी की गई राशि का 5 प्रतिशत, यानी प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये तक की राशि, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सीएएमपीए सलाहकार परिषद द्वारा निगरानी और मूल्यांकन के लिए और राज्य सीएएमपीए दिशानिर्देशों में दी गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी और उपयोग की जा सकती है। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सीएएमपीए का गठन किया गया था। तदर्थ सी. ए. एम. पी. ए. ने अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना (ए. पी. ओ.) के अनुसार प्रत्येक राज्य सी. ए. एम. पी. ए. को धन जारी किया। वर्तमान में, राज्य को प्रति वर्ष कुल 1 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की अनुमति है। मूलधन राशि और संचयी ब्याज के राज्यवार खातों को तदर्थ सीएएमपीए द्वारा बनाए रखा जाना है। न्यायालय द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए धन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। सीएएमपीए का प्रशासनिक खर्च सीईसी द्वारा वहन किया जाता है। तदर्थ सीएएमपीए की स्थापना के साथ, बड़ी राशि जमा हो गई है जिसे राज्य सीएएमपीए को उपयोग, सुरक्षा और सुधार के लिए जारी किया जा सकता है। राष्ट्रीय पर्यावरण।

तत्काल आई. ए. विभिन्न राज्यों द्वारा अनिवार्य वनीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए कुछ धन जारी करने की मांग करते हुए दायर किए गए थे। सी. ई. सी. ने यह भी सिफारिश की कि सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई 2009 के अपने पहले के आदेश में आंशिक संशोधन करके तदर्थ सी. ए. एम. पी. ए. को वित्तीय वर्ष से वार्षिक

रूप से जारी करने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है, इसके द्वारा प्राप्त/प्राप्य ब्याज में से, वर्ष की शुरुआत में प्रत्येक राज्य/उत्तर प्रदेश के क्रेडिट में पड़ी मूल राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कुछ शर्तों के अधीन संबंधित राज्य सी. ए. एम. पी. ए. को दी जाए।

आई. ए. का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. सीईसी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है। राष्ट्रीय सीएएमपीए सलाहकार परिषद (एनसीएसी) 1 मई, 2014 से पहले उन गतिविधियों के बारे में दिशानिर्देश जारी करेगी जिनके लिए सीएएमपीए निधि का उपयोग अनुमत नहीं होगा (जैसे कि विदेशी अध्ययन यात्राएं) और जिन गतिविधियों के लिए सीएएमपीए निधि के उपयोग पर एक सीमा लागू होगी (जैसे कि वाहनों की खरीद और आवासीय 1 कार्यालय भवनों का निर्माण)। राज्य सीएएमपीए द्वारा इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। 10 जुलाई, 2009 के आदेश को तदनुसार संशोधित किया गया है। तदर्थ सीएएमपीए को वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बाद से प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के ऋण में जमा मूल राशि के 10 प्रतिशत के बराबर वार्षिक राशि जारी करने की अनुमति है। उक्त निधियों को जारी करना कुछ शर्तों के अधीन होगा। यह भी निर्देश दिया जाता है कि तदर्थ सीएएमपीए के पास उपलब्ध राशि में से कोई भी धन इस न्यायालय की अनुमति के बिना हस्तांतरित या उपयोग नहीं किया जाएगा। यह भी निर्देश दिया जाता है कि राष्ट्रीय सीएएमपीए सलाहकार परिषद निगरानी और प्रबंधन के संबंध में तीन महीने की अवधि के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी।

सीएएमपीए द्वारा जारी निधियों का उपयोग करके किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन। [पैरा 31 से 33] [304-एफ-एच; 305-ए-डी]

एम सी मेहता अन्य कमल नाथ और अन्य। 1997 (1) एससीसी 388:1996 (10) पूरक। एस. सी. आर. 12-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भः

1996 (10) पूरक। एस. सी. आर. 12 पैरा 16 में संदर्भित है।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः आई. ए. संख्या 2143 के साथ 2283, 3088, 3461, 3479, 3693 में 2143, 827, 1122, 1337, 1473 और 1620 और 1693 आई. एन. 1473 और 3618 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

मंजीत सिंह, ए. जी., हरीश एन. साल्वे, उदय यू. ललित, पी. एस. पटवालिया और अनूप जी. चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता एम. के. सुब्रमण्यम, एसपी। जी. पी., ए. डी. एन. राव, सिद्धार्थ चौधरी, पी. के. मनोहर, केशव ठाकुर, साकेत सीकरी, सुश्री रंजीता रोहतगी, हैरिस बीरन, सुश्री सी. के. सुचरिता, अनिल श्रीवास्तव, रिकु शर्मा, नवनीत कुमार (मैसर्स कॉरपोरेट लॉ ग्रुप के लिए), गोपाल सिंह, मनीष कुमार, सी. डी. सिंह, सुश्री साक्षी कक्कड़, टी. महिपाल, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री प्रीति भारद्वाज, तारजीत सिंह, विनय कुहर, सुश्री नूपुर चौधरी, कमल मोहन गुप्ता, सुश्री प्रगति नीखरा, अशोक माथुर, गोपाल प्रसाद, पारसुश्री बीना माधवन, नवीन शर्मा, सुश्री स्वाति बी. शर्मा, मिश्रा सौरभ, संजय खार्डे, अनिरुद्ध पी. मयी, के. नोबिन सिंह, रंजन मुखर्जी, पी. वी. योगेश्वरन, रंजन मुखर्जी, अनिल कटियार, शिबाशीष। मिश्रा, कुलदिप सिंह, मिलिंद कुमार, मेसर्स के लिए। अरुणा एंड कंपनी, बी. बालाजी, आर. राकेश शर्मा, सेल्विन राजा, सुश्री रचना श्रीवास्तव, उत्कर्ष शर्मा, अमित कुमार सिंह, अभिषेक चौधरी, सुश्री सौम्या चक्रवर्ती, अनीप सचथे, कर्नल आर. बालासुब्रमण्यम, के. वी. जगदीशवरन, सुश्री

जी. इंदिरा, डी. एस. माहरा, वी. जी. प्रगसम, एस. जे. अरस्तू और प्रभु रामसुब्रमण्यन, अदलिस। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुरिंदर सिंह निजार, जे द्वारा दिया गया था।

1. यह आदेश आई. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, का निपटारा करेगा।

2. 1995 की रिट याचिका (सी) संख्या 202 को पश्चिमी घाट पर नीलगिरी वन में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए और उनकी ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका के रूप में दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और तमिलनाडु हिल स्टेशन वृक्ष संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन करते हुए गुडलूर और नीलगिरी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को नष्ट करने में तमिलनाडु राज्य, नीलगिरी जिले के कलेक्टर और जिला वन अधिकारी, गुडलूर और कलेक्टर, नीलगिरी (प्रतिवादी संख्या क्रमशः 2 से 5) द्वारा से प्रतिनिधित्व करने वाली लकड़ी समिति के कार्यों की वैधता और वैधता को चुनौती देने की मांग की। याचिकाकर्ता के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन और आजीविका को गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन ने प्रभावित किया है।

3. याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्रतिवादी ने कुछ निहित स्वार्थों के साथ मिलकर पेड़ों को काटने और वन भूमि को वृक्षारोपण में बदलने के उद्देश्य से अतिक्रमण करने और वन भूमि में प्रवेश करने की अनुमति दी है। यह बताया गया कि वन भूमि पर अतिक्रमणकारी अंधाधुंध रूप से कीमती रोजवुड के पेड़ों, सागौन के पेड़ों और आयनी के पेड़ों को काट रहे हैं और हटा रहे हैं, जो बेहद मूल्यवान हैं और विशेष रूप से उपरोक्त जंगल में पाए जाते हैं। यह बताया गया कि ऐसे पेड़ों का नुकसान वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी और अपूरणीय होगा। याचिकाकर्ता ने

स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि रोजवुड और सागौन की लकड़ी से जुड़े मूल्य के परिणामस्वरूप सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर लकड़ी के ठेकेदारों द्वारा वर्षा वन और पारिस्थितिकी तंत्र को हुए स्थायी नुकसान और विनाश की परवाह किए बिना त्वरित लाभ कमाने के लिए एक पागल भीड़ पैदा हो गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि पेड़ों को काटना और हटाना केवल परिपक्व पेड़ों तक ही सीमित नहीं है। भारी मुनाफा कमाने की उनकी चिंता में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करके पूरे वन क्षेत्र को साफ किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि वर्ष 1952 में अपनाई गई राष्ट्रीय नीति में वनों के संरक्षण और संरक्षण का प्रावधान है। वनों से आच्छादित भूमि के बड़े क्षेत्रों के अस्तित्व को राष्ट्रीय विरासत के एक मूल्यवान खंड के रूप में पहचाना जाता है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि वनों के दोहन से सुरक्षा, विशेष रूप से प्राकृतिक वनों में, अनिवार्य है क्योंकि ऐसे वनों को एक बार नष्ट करने के बाद उनकी प्राकृतिक स्थिति में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि वर्षा वनों के विनाश से पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, वनों के भीतर रहने वाले पौधों और जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप इस तरह का विनाश होगा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पर्यावरण और जंगलों में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भारी बदलाव आएगा। याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि हालांकि राष्ट्रीय नीति में यह प्रावधान किया गया है कि भारत की 33 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित होगी, लेकिन वर्तमान में वन क्षेत्र का विस्तार 15 प्रतिशत से कम है। प्राकृतिक वर्षा वन क्षेत्र केवल 5 प्रतिशत के आसपास था। इस तरह के अल्प वन क्षेत्र के कारण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू किया गया था। उपरोक्त अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः-

(1) वनों की कटाई पारिस्थितिक असंतुलन का कारण बनती है और पर्यावरणीय गिरावट का कारण बनती है। देश में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही थी और इसने व्यापक चिंता पैदा कर दी थी।

(2) वनों की कटाई को रोकने के लिए राष्ट्रपति ने 25 अक्टूबर, 1980 को वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 जारी किया। अध्यादेश ने आरक्षित वनों के आरक्षण को समाप्त करने और गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी को आवश्यक बना दिया। अध्यादेश में ऐसी मंजूरी देने के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है।

4. उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों की ओर इशारा करने के अलावा, याचिकाकर्ता ने यह भी विरोध किया कि ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित उनके मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने बताया कि वनों के संरक्षण और संरक्षण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। उन्होंने आगे बताया कि वर्षा वन, जो केवल पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, उनमें पौधों और जानवरों की कई दुर्लभ प्रजातियां हैं और घाटों से बहने वाली नदियों को पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत भी हैं। पश्चिमी घाट पर बड़े पैमाने पर हरित आवरण की कमी के परिणामस्वरूप नदियों में पानी की कमी हो गई है और नदियों से बहने वाले पानी पर रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

5. इसके अलावा, यह बताया गया कि वनों के भीतर और आसपास रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों के लिए वन आजीविका का मुख्य स्रोत हैं। यह भी बताया गया कि

वर्षा वन जीवन का स्रोत हैं और इसके भीतर निहित पौधे और जानवर मानव जाति द्वारा आनंदित जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि वर्षावन की जैव विविधता को मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों के कल्याण और कल्याण के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका में इस अदालत का रुख करने के लिए विवश था क्योंकि वह तीन राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पाए जाने वाले जंगलों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर विनाश से इतना परेशान था। यह खेद व्यक्त किया गया कि भारत संघ द्वारा अधिनियमित सभी सुरक्षात्मक अधिनियम क़ानून की पुस्तकों में दिए गए बयानों से ज्यादा कुछ नहीं हैं, जितना कि वन भूमि और उसकी संपत्ति को हर दिन लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वन अधिकारियों, लकड़ी ठेकेदारों और स्थानीय अधिकारियों के बीच सुव्यवस्थित रैकेट मौजूद हैं जो वन संरक्षण अधिनियम का घोर उल्लंघन करते हुए पेड़ों और लकड़ी को काटने और हटाने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने उस तरीके का विवरण दिया है जिसमें व्यक्तियों, ठेकेदारों और फर्मों को अमूल्य रोजवुड पेड़ों के लिए वन क्षेत्र में गुप्त रूप से अतिक्रमण करने और लूटने की अनुमति दी गई थी। यह कहा गया था कि बाजार में प्रत्येक पेड़ की कीमत रुपये15 से 20 लाख तक है। जब सभी संबंधित व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के सभी प्रयास विफल हो गए, तो याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश हो गए। उपरोक्त रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थनाएँ इस प्रकार हैं:

(क) तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी जिले के जंगलों में कटाई और सफाई की सभी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए तमिलनाडु राज्य को निर्देश देते हुए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

(ख) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिवादी 2 से 5 को वन भूमि को वृक्षारोपण या अन्य उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने से रोकने का निर्देश दिया जाए।

(ग) तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में वन भूमि के सभी अनधिकृत और अवैध कब्जाधारियों को हटाने के लिए कदम उठाने के लिए 2 से 5 प्रतिवादी को एक उपयुक्त रिट या निर्देश जारी करें।

(घ) एक उपयुक्त रिट जारी करें, नीलगिरी जिले में जंगलों से लकड़ी के परिवहन और हटाने को रोकने के लिए प्रतिवादी 2 से 5 को निर्देश देने का आदेश दें।

(ई) तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में पश्चिमी घाटों और विशेष रूप से नीलगिरी पर्वत की पहाड़ियों में वनों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक उचित रिट, आदेश निर्देश जारी करें।

(च) ऐसे अन्य और आगे के आदेश पारित करें। 6. रिट याचिका में वर्णित भयावह तथ्य स्थिति से परेशान होकर, इस न्यायालय ने न केवल संबंधित राज्यों को बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया। इसके बाद रिट याचिका लंबित है।

7. इस रिट याचिका में, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में सामान्य या विशिष्ट निर्देशों की मांग करते हुए अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए गए हैं। विभिन्न चरणों में अंतर्वर्ती अनुप्रयोगों द्वारा कवर किए गए विषयों में मौजूदा वन क्षेत्र की सुरक्षा; वन क्षेत्र में सुधार; झीलों, नदियों और वन्यजीवों की सुरक्षा; और देश की वनस्पतियों और जीवों और पारिस्थितिक प्रणाली की सुरक्षा शामिल हैं। यह न्यायालय संबंधित विशेषज्ञ निकायों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विभिन्न केंद्रीय/राज्य प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले संरक्षित उपायों के प्रवर्तन की लगातार निगरानी कर रहा है।

8. 29 अक्टूबर, 2002 को इस न्यायालय ने आई. ए. सं. 566 पर विचार किया, जिसमें इस न्यायालय ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एन. रावल के इस आशय के बयान पर स्वतः संज्ञान लिया था कि विभिन्न राज्यों द्वारा एकत्र की गई राशि का उपयोग उन उपयोगकर्ता एजेंसियों से किया जा रहा है जिन्हें गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, जिसका उपयोग इस तरह के प्रतिपूरक वनीकरण के लिए नहीं किया जा रहा था। यह बताया गया कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए धन का उपयोग इस तरह के वनीकरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में प्राप्त धन के 63 प्रतिशत तक ही किया गया था। उस समय भी यह कमी लगभग रु। 200 करोड़ रु.अतः इस न्यायालय ने अभिलिखित किया कि अगली तारीख को वह इस बात पर विचार करेगा कि इस कमी को कैसे पूरा किया जाए। यह निर्देश दिया गया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय को एक ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए, जिसके तहत जब भी गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोगकर्ता को बदलने के लिए कोई अनुमति दी जाती है, और अनुमति की शर्तों में से एक यह है कि प्रतिपूरक वनीकरण होना चाहिए, तो इसकी जिम्मेदारी उपयोगकर्ता-एजेंसी की है और आवश्यक कार्य करने के लिए एक राशि अलग रखने की आवश्यकता है। यह भी प्रावधान किया गया था कि ऐसे मामले में संबंधित राज्य सरकारों को ऐसी भूमि प्रदान करनी होगी या उपलब्ध करानी होगी जिस पर वनों का निर्माण किया जा सके। इस भूमि को या तो उपयोगकर्ता-एजेंसी या राज्य सरकारों के खर्च पर उपलब्ध कराना पड़ सकता है, जैसा कि राज्य सरकारें तय करें। यह भी निर्देश दिया गया कि एम. ओ. ई. एफ. द्वारा बनाई गई योजना ऐसी होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दी गई अनुमतियों के अनुसार वनीकरण हो और इसके संबंध में कोई कमी न हो।

9. आई. डी. 1 और 420 में अभिलेख पर रखे गए बयान के आधार पर इस न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया था कि वन क्षेत्र को गैर-वन उद्देश्यों के लिए मोड़ने के लिए संचित धन, क्षतिपूर्ति वनीकरण, हालांकि वास्तव में प्राप्त किया गया था, का उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया था। सी. ई. सी. ने इस प्रश्न की जांच की। रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा धन जारी करने के तरीके में बदलाव होना चाहिए। सी. ई. सी. ने सिफारिश की कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए एक अलग कोष बनाना वांछनीय होगा, जिसमें उपयोगकर्ता-एजेंसियों से प्राप्त सभी धन को जमा किया जाना चाहिए और बाद में आवश्यकता पड़ने पर सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किया जाना चाहिए। किसी विशेष राज्य से प्राप्त धन का उपयोग उसी राज्य में किया जाएगा।

10. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच इस बात पर सहमति थी कि इस तरह का कोष बनाया जाए। यह भी सिफारिश की गई थी कि निधि संघ या सभी राज्यों या भारत की समेकित निधियों के सामान्य राजस्व का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। सी. ई. सी. रिपोर्ट में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपयोगकर्ता-एजेंसियों की भागीदारी पर भी विचार किया गया।

11. सीईसी ने 5 सितंबर, 2002 की अपनी रिपोर्ट में आठ सिफारिशें कीं जिन्हें भारत संघ ने उपरोक्त रिपोर्ट के जवाब में दायर एक शपथ पत्र में स्वीकार कर लिया। भारत संघ ने शपथ पत्र में आगे कहा कि वर्तमान तंत्र का प्रमुख संस्थागत पुनर्गठन किया जाना है। यह प्रस्ताव किया गया था कि व्यापक नियम बनाए जाएंगे जो अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ प्रक्रिया और मुआवजे से संबंधित होंगे। यह भी प्रस्ताव किया गया कि प्रतिपूरक वनीकरण कोष (सी. ए. एफ.) के प्रबंधन के लिए एक निकाय होगा। भारत संघ का सुझाव था कि सी. ए. एफ. में वन महानिदेशक, विशेष सचिव,

जो पदेन अध्यक्ष होंगे और वन महानिरीक्षक, जो पदेन सदस्य सचिव होंगे, शामिल होंगे। सी. ई. सी. की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और इस न्यायालय ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

> "(क) भारत संघ आज से आठ सप्ताह के भीतर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सहमति से एक निकाय के गठन और प्रतिपूरक वनीकरण निधि के प्रबंधन के संबंध में व्यापक नियम बनाएगा। ये नियम आज से आठ सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में दायर किए जाएंगे। इस निकाय के गठन के लिए आवश्यक अधिसूचना एक साथ जारी की जाएगी।
>
> (ख) क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और साथ ही राज्यों द्वारा पहले से ही प्राप्त की गई खर्च नहीं की गई निधि को संबंधित राज्यों और उपयोगकर्ता-एजेंसियों द्वारा इसके गठन के छह महीने के भीतर उक्त निकाय को हस्तांतरित किया जाएगा।
>
> (ग) उपरोक्त के अलावा, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत हस्तांतरण के अनुसार सभी गैर-वन उद्देश्यों से उपयोगकर्ता-एजेंसी में परिवर्तन के लिए, उपयोगकर्ता एजेंसी उक्त निधि में गैर-वन उद्देश्यों के लिए डायवर्ट की गई वन भूमि के शुद्ध मूल्य का भी भुगतान करेगी। वर्तमान मूल्य रुपये की दर से वसूल किया जाना है। 5. 80 लाख प्रति हेक्टेयर से रु। गैर-वन उपयोग के लिए परिवर्तित की गई भूमि की मात्रा और घनत्व के आधार पर वन भूमि का प्रति हेक्टेयर 9.20 लाख रुपये। यह आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति

के परामर्श से पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ऊपर की ओर संशोधन के अधीन होगा।

(घ) एक 'प्रतिपूरक वनरोपण कोष' बनाया जाएगा जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनरोपण, वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना कोष आदि के लिए उपयोगकर्ता-एजेंसियों से प्राप्त सभी धन जमा किए जाएंगे। प्रतिपूरक वनीकरण कोष के प्रबंधन के लिए निकाय के नियमों, प्रक्रिया और संरचना को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक महीने के भीतर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सहमति से अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ङ) जैव विविधता, वन्यजीव आदि के संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए वन भूमि को मोड़ने के मामलों में उपयोगकर्ता-एजेंसियों से प्राप्त धन संरक्षित क्षेत्रों यानी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की खंड 18,26ए या 35 के तहत अधिसूचित क्षेत्र के भीतर आता है, जिसे भी इस कोष में जमा किया जाएगा। इस तरह के धन का उपयोग विशेष रूप से संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा और संरक्षण गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

(च) प्रतिपूरक वनीकरण के कारण प्राप्त राशि लेकिन खर्च नहीं की गई या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोई शेष राशि या कोई भी राशि जो उपयोग-एजेंसी से अभी तक वसूल नहीं की गई है, भी इस निधि में जमा की जाएगी।

(छ) कृत्रिम पुनर्जनन (वृक्षारोपण) के अलावा, निधि का उपयोग सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों के संरक्षण और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए भी किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, साइट। विशिष्ट योजनाओं को समयबद्ध तरीके से तैयार और कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(ज) उपयोगकर्ता एजेंसियों, विशेष रूप से बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एन टी पी सी आदि, जिन्हें अक्सर अपनी परियोजनाओं के लिए वन भूमि की आवश्यकता होती है, को भी विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना करके प्रतिपूरक वनीकरण करने में शामिल किया जाना चाहिए। जबकि निजी क्षेत्र की उपयोगकर्ता एजेंसियां प्रतिपूरक वनीकरण की निगरानी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से संरक्षण में शामिल हो सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रक्रिया केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सहमति से पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(i) बागानों में स्थानीय और स्वदेशी प्रजातियों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि एक्सोटिक्स का पर्यावरण पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(जे) धन का प्रभावी और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष द्वारा से समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन की एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की जाएगी।"

12. उपरोक्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण मंत्रालय ने 23 अप्रैल, 2004 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की खंड 3 (3) के तहत एक

प्राधिकरण के रूप में "प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)" का गठन करते हुए एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में प्रावधान है कि एक शासी निकाय होगा। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। सचिव, एम. ओ. ई. एफ. के स्तर से वन महानिरीक्षक के स्तर तक ले जाए जाने वाले सदस्यों के अलावा, शासी निकाय में एक प्रख्यात पेशेवर पारिस्थितिकीविद् भी शामिल है, जो 2 साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्य सरकार से नहीं है, बल्कि लगातार दो कार्यकालों के लिए है। अधिसूचना में सात सदस्यों वाले एक कार्यकारी निकाय का भी प्रावधान है, जिसके अध्यक्ष वन महानिदेशक और विशेष सचिव, एमओईएफ, भारत सरकार हैं। अधिसूचना में शासी निकाय की शक्तियों और कार्यों, कार्यकारी निकाय की शक्तियों और कार्यों, निधियों का प्रबंधन, निधियों का वितरण, कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक संचालन समिति और एक प्रबंधन समिति होगी। यह राज्य संचालन समिति और राज्य प्रबंधन समिति की शक्तियां और कार्य भी प्रदान करता है। सीएएमपीए का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में है। दुर्भाग्य से, उपरोक्त अधिसूचना केवल कागज पर ही रह गई है और इसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आज तक कार्यात्मक नहीं बनाया गया है।

13. इस न्यायालय ने बढ़ते प्रदूषण, वनस्पति आवरण की हानि और जैविक विविधता, परिवेश के वातावरण और खाद्य श्रृंखलाओं में हानिकारक रसायनों की अत्यधिक सांद्रता, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं के बढ़ते जोखिम और जीवन समर्थन प्रणाली के लिए खतरों के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट के संबंध में पूरे मुद्दे की फिर से जांच की, जिसके संरक्षण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू किया गया था। डब्ल्यू. पी. में आई ए सं॰ 826 में आई ए सं॰ 566 में एक व्यापक निर्णय दिया गया था। (ग) 26 सितंबर, 2005 को सं. 202 1995। न्यायालय ने वन

संरक्षण अधिनियम, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974 में निहित वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दिया। इसने यह भी देखा कि क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए निर्धारित वन भूमि को मोड़ने के लिए मंजूरी दिए जाने के मामलों में उपयोगकर्ता-एजेंसियों द्वारा देय बड़ी राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस न्यायालय द्वारा आगे यह देखा गया है कि गैर-वानिकी उपयोग के लिए परिवर्तित की गई भूमि की गुणवत्ता और घनत्व के आधार पर वन भूमि की प्रति हेक्टेयर कुछ दरें तय की गई थीं। निवल वर्तमान मूल्य (एन. पी. वी.) और प्रतिपूरक वनीकरण कोष के भुगतान से संबंधित मुद्दों की विस्तृत जांच के बाद, न्यायालय ने 23 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना के तहत सीएएमपीए को भुगतान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। यह माना गया कि एन. पी. वी. का भुगतान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है। यह भी माना गया कि प्राकृतिक संसाधन किसी एक राज्य या व्यक्ति का स्वामित्व नहीं हैं, बड़े पैमाने पर जनता इसका लाभार्थी है। इसलिए, इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि एन. पी. वी. की राशि राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।

14. न्यायालय ने वन की विभिन्न श्रेणियों और एन. पी. वी. के भुगतान से छूट पाने योग्य परियोजना के लिए देय एन. पी. वी. निर्धारित करने के लिए एक व्यावहारिक पद्धति तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति (कंचन चोपड़ा समिति) का भी गठन किया।

15. जैसा कि पहले देखा गया है, एन. पी. वी., प्रतिपूरक वनीकरण आदि के लिए उपयोगकर्ता-एजेंसियों से प्राप्त भारी राशि बिना किसी प्रभावी नियंत्रण और निगरानी के विभिन्न प्राधिकरणों के पास पड़ी थी क्योंकि एम. ओ. ई. एफ. द्वारा सीए. एम. पी. ए. अधिसूचना को चालू नहीं किया गया था।

16. न्यायालय ने एम सी मेहता बनाम के अनुपात को दोहराया। कमल नाथ और अन्य. [1] यह राज्य का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक संसाधनों को उनकी प्राचीन शुद्धता में संरक्षित करे। सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत को फिर से लागू किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि नदियों, समुद्र तट, वन और वायु जैसी कुछ सामान्य संपत्तियों को आम जनता के स्वतंत्र और निर्बाध उपयोग के लिए सरकारी न्यासी द्वारा रखा गया था। यह दोहराया गया कि हमारी कानूनी प्रणाली अंग्रेजी सामान्य कानून पर आधारित है जिसमें इसके न्यायशास्त्र के हिस्से के रूप में सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत शामिल है। राज्य उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी है जो स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक उपयोग और आनंद के लिए हैं।

17. इसलिए, इस न्यायालय ने सभी एहतियाती उपाय करने की आवश्यकता को स्वीकार किया जब वन भूमि को गैर-वानिकी उपयोग के लिए मोड़ने की मांग की जाती है, तो सीएएफ के निर्माण को मंजूरी दी गई। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, न्यायालय ने अंतर-पीढ़ीगत समानता को ध्यान में रखा। राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय करने की आवश्यकता थी।

18. जैसा कि पहले देखा गया था, इस न्यायालय ने 28 मार्च, 2008 के आदेश द्वारा उन दरों को निर्धारित किया था जिन पर विभिन्न पारिस्थितिकी-वर्गों और घनत्व उप-वर्गों में आने वाली वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग के लिए एन. पी. वी. देय है। दरें रुपये से भिन्न होती हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में आने वाली वन भूमि के उपयोग के लिए, एन. पी. वी. का भुगतान एन. पी. वी. की सामान्य दरों के क्रमशः 10 गुना और 5 गुना पर किया जाता है। 9 मई, 2008 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग के लिए एन. पी. वी. के भुगतान से छूट दी है (ए) स्कूलों, अस्पतालों, गाँव के तालाबों के निर्माण, भूमिगत पाइप लाइनों के

बिछाने और 22 केवी तक बिजली वितरण लाइनों के लिए एक हेक्टेयर तक, (बी) राष्ट्रीय उद्यानों/वन्यजीव अभयारण्यों से गाँवों के स्थानांतरण के लिए, (सी) नदी के तल से पत्थरों/गाद के संग्रह के लिए, (डी) भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए और (ई) 1980 से पहले अतिक्रमण के नियमितीकरण के लिए और भूमिगत खनन परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत छूट दी है।

19. हालाँकि उपयोगकर्ता-एजेंसियों से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था, लेकिन इसके उपयोग के लिए कोई प्रभावी नियंत्रण और संतुलन नहीं थे। इसलिए, 5 मई, 2006 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने आई. ए. सं. 1473 में एक तदर्थ निकाय के गठन के लिए सी. ई. सी. द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया, जब तक कि सी. ए. एम. पी. ए. चालू नहीं हो जाता। सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को 29 अक्टूबर, 2002 के आदेश के अनुरूप 30 अक्टूबर, 2002 से एकत्र की गई राशि का लेखा-जोखा रखने और उसका भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। सीईसी द्वारा दिए गए निम्नलिखित दो सुझावों को स्वीकार कर लिया गयाः-

> "(क) यह सुनिश्चित करना कि 'सीएएमपीए' की ओर से बरामद किए गए और वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास पड़े सभी धन को इस निकाय द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाए। (ख) 'सीएएमपीए' की ओर से उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धन और विभिन्न राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उस पर अर्जित आय का लेखा परीक्षा कराएँ। लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कैग द्वारा की जा सकती है। लेखापरीक्षा इस बात की भी जांच कर सकती है कि क्या धन के निवेश में उचित वित्तीय प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।"

20. राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को तदर्थ सीएएमपीए के साथ-साथ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया था। वन महानिदेशक और एम. ओ. ई. एफ. के विशेष सचिव की अध्यक्षता में तदर्थ सी. ए. एम. पी. ए. में (ए) वन महानिरीक्षक (एफ. सी.), एम. ओ. ई. एफ. (बी) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधि (सी) सी. ई. सी. के अध्यक्ष का नामित सदस्य होता है। इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, पहले से प्राप्त धन के साथ-साथ एन. पी. वी. आदि के लिए प्राप्त धन को तदर्थ सीएएमपीए में स्थानांतरित कर दिया गया है और राष्ट्रीय बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया गया है। राज्यों से एन. पी. वी. आदि के लिए तदर्थ सीएएमपीए के पास जमा राशि (मूल राशि) और सावधि जमा (संचयी ब्याज) पर प्राप्त ब्याज में पिछले कुछ समय में काफी वृद्धि हुई है और वर्तमान में यह लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये है। 30, 000 करोड़ रु.

21. 2 अप्रैल, 2009 को, एमओईएफ ने "राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राज्य सीएएमपीए) के दिशानिर्देश" जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश मुख्य सचिवों की बैठक में हुई चर्चाओं के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसका उद्देश्य इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप आवश्यक तंत्र स्थापित करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना है। दिशा-निर्देश सामान्य प्रकृति के हैं और इन्हें किसी विशेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा सकता है। प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वन्यजीवों के प्रबंधन, इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य संबद्ध कार्यों के लिए गतिविधियों में तेजी लाने के लिए एक साधन के रूप में राज्य सीएएमपीए की स्थापना की गई है। 10 जुलाई, 2009 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि एमओईएफ द्वारा तैयार किए गए राज्य सीएएमपीए के दिशानिर्देशों और संरचना को अधिसूचित और लागू किया जा सकता है। न्यायालय ने तदर्थ सीएएमपीए

को अगले पांच वर्षों के लिए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मूल राशि के 10 प्रतिशत के अनुपात अन्य बातों के साथ साथ प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ रुपये जारी करने की भी अनुमति दी, बशर्ते कि राज्य महालेखाकार वार्षिक आधार पर राज्य सीएएमपीए निधियों से प्रत्येक वर्ष किए गए व्यय का लेखा-जोखा करेगा। यह भी निर्देश दिया गया कि राज्य सीएएमपीए को जारी की गई राशि का 5 प्रतिशत, यानी प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये तक की राशि, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सीएएमपीए सलाहकार परिषद द्वारा निगरानी और मूल्यांकन के लिए और राज्य सीएएमपीए दिशानिर्देशों में दी गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी और उपयोग की जा सकती है।

22. प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सीएएमपीए का गठन किया गया है। इसकी तीन स्तरीय संरचना है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में कार्य करने वाली कार्यकारी समिति प्रत्येक वर्ष के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) के लिए जिम्मेदार है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति प्रत्येक वर्ष के लिए ए. पी. ओ. को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री शासी निकाय के अध्यक्ष हैं जो समग्र मार्गदर्शन और नीतिगत मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। तदर्थ सी. ए. एम. पी. ए. अनुमोदित ए. पी. ओ. के अनुसार प्रत्येक राज्य सी. ए. एम. पी. ए. को धन जारी करता है। वर्तमान में, राज्य को प्रति वर्ष कुल 1 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की अनुमति है। तदर्थ सीएएमपीए द्वारा मूलधन राशि और संचयी ब्याज के राज्यवार खातों का रखरखाव किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए धन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। सीएएमपीए का प्रशासनिक खर्च सीईसी द्वारा वहन किया जाता है।

23. तदर्थ सीएएमपीए की स्थापना के साथ, बड़ी राशि जमा हो गई है जिसे राज्य सीएएमपीए को उपयोग, सुरक्षा और राष्ट्रीय पर्यावरण में सुधार के लिए जारी किया जा सकता है। अब उपरोक्त आवेदन विभिन्न राज्यों द्वारा अनिवार्य वनीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए कुछ धन जारी करने की मांग करते हुए दायर किए गए हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया गया है। सभी आवेदनों में दावा की गई राहत लगभग समान है। हम सभी आवेदनों को तय करने के उद्देश्य से 2013 के आई ए सं॰ 3618 में किए गए कथन का संदर्भ देंगे।

24. गुजरात राज्य द्वारा 1995 की रिट याचिका (सी) संख्या 202 में 2013 की आई. ए. संख्या 3618 निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई हैः-

> "आई. सीएएमपीए दिशानिर्देशों में परिकल्पित प्रतिपूरक वनीआदेशण योजना, वन्यजीव संरक्षण और अन्य वन संरक्षण और संरक्षण उपायों का प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित आदेशने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीएएमपीए के साथ जमा की गई मूल राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत और ऐसी जमा राशि पर ब्याज के रूप में उपार्जित कुल राशि गुजरात राज्य सहित संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को 1,000 आदेशोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के बिना जारी आदेशने का निर्देश देना। ii. माननीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी अन्य निर्देश को पारित करें। अन्य अनुप्रयोगों में की गई प्रार्थनाएँ समान हैं, यदि समान नहीं हैं।"

25. उपरोक्त राहत का दावा इस आधार पर किया जाता है कि सीएएमपीए के पास उपलब्ध राशि 1,000 करोड़ रुपये से काफी अधिक है, जिसमें इस न्यायालय के आदेशों द्वारा तदर्थ सीएएमपीए से वार्षिक रिलीज को 1,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक

सीमित कर दिया गया है। यह भी बताया गया है कि केवल वर्ष 2009-10 के दौरान, मूल राशि का 10 प्रतिशत, यानी रु। तदर्थ सीएएमपीए द्वारा गुजरात राज्य को 24.96 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बाद के वर्षों के दौरान, यानी 2010-11 और 2011-12, गुजरात राज्य के लिए तदर्थ केम्पा से वार्षिक रिलीज क्रमशः 10 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत और फिर 7 प्रतिशत हो गई थी। वर्ष 2012-13 के लिए जारी की गई राशि मूल राशि का केवल 6.5% है। गुजरात राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जिस समय अप्रैल, 2013 में ये आवेदन दायर किए गए थे, उस समय तदर्थ सीएएमपीए के पास उपलब्ध कुल धनराशि इस प्रकार थीः-ए। तदर्थ सीएएमपीए के निपटान में मूल राशि लगभग रुपये28000 करोड़ है। बी। इस पर अर्जित ब्याज 4,000 आदेशोड़ रुपये से अधिक का है। ग. जमाओं पर ब्याज का वार्षिक संचय रुपये के क्रम का है।

26. उपरोक्त तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर, सभी राज्यों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सीएएमपीए को जारी की गई धनराशि तदर्थ सीएएमपीए खातों में उपार्जित ब्याज का केवल एक अंश है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि क्षतिपूर्ति शुल्कों का मूल्य, जो कई वर्षों की अवधि में वन भूमि के मोड़ के खिलाफ प्राप्त किया गया है, काफी हद तक कम हो गया है। यह निरंतर मुद्रास्फीति के रुझानों द्वारा जोड़ा गया है, जिसने प्रतिपूरक वनीकरण करने के कार्य को बहुत अधिक लागत वाला बना दिया है। इसलिए, यह आवश्यक है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र की गई राशि के पर्याप्त अनुपात में राज्य सीएएमपीए को धन उपलब्ध कराया जाए। इस दुविधा को स्पष्ट करने के लिए, आवेदक ने एक चार्ट पर भरोसा किया है, जो नीचे दिया गया हैः-

(रु. करोड़ में)

Year	Amount required as per APO	Amount released to Gujarat State CAMPA	Shortfall
1	2	3	4
2009-10	43.16	24.96	18.20
2010-11	43.78	29.16	14.62
2011-12	55.08	26.30	28.78
2012-13	40.61	32.41	8.20
Total	182.63	112.83	69.80

27. उपरोक्त चार्ट पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपर्याप्त सीएएमपीए निधि जारी होने के कारण, संचालन समिति द्वारा अनुमोदित सभी एनपीवी परियोजनाओं को शुरू नहीं किया जा सका। वर्ष 2009-10 में, 24 एन. पी. वी. परियोजनाओं में से केवल 4 परियोजनाओं को लागू किया जा सका। वर्ष 2011-12 में, 14 एन. पी. वी. परियोजनाओं में से केवल 12 परियोजनाओं को लागू किया जा सका। वर्ष 2012-13 में, 15 एन. पी. वी. परियोजनाओं में से केवल 14 परियोजनाओं को लागू किया जा सका। यह बताया गया है कि जिन परियोजनाओं को लागू किया गया है, उनके संबंध में भी परियोजनाओं के समर्थन में सभी गतिविधियों को धन की कमी के कारण शुरू नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप वन और वन्यजीव संरक्षण में समग्र कमी आई है, जो सीएएमपीए निधि का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए, गुजरात राज्य सहित कई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह तदर्थ सीएएमपीए निधि से वार्षिक राशि को बढ़ाकर तदर्थ सीएएमपीए के पास उपलब्ध मूल राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत कर दे, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपये की कोई सीमा न हो। हालाँकि, चूंकि एम. ओ. ई. एफ. से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए गुजरात राज्य और अन्य आवेदक राज्य/केंद्र सरकार आई. ए. दाखिल करने के लिए विवश थे।

28. ये आवेदन 26 अगस्त, 2013,20 सितंबर, 2013 और 4 अक्टूबर, 2013 को सुनवाई के लिए आए थे। पूरे मामले की जांच करने के बाद, 9 दिसंबर, 2013 को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (जिसे इसके बाद "सीईसी" के रूप में संदर्भित किया गया है) को आवेदनों और आवेदक द्वारा की गई प्रार्थनाओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया था। सी. ई. सी. ने 6 जनवरी, 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

29. गुजरात राज्य द्वारा दायर आवेदन के जवाब में, इस न्यायालय ने 9 दिसंबर, 2013 के आदेश द्वारा सीईसी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

30. 6 जनवरी, 2014 की अपनी रिपोर्ट में सी. ई. सी. ने सिफारिश की है कि आवेदन में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए। सी. ई. सी. रिपोर्ट का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

"11. सी. ई. सी., उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अनुशंसा करता है कि यह माननीय न्यायालय 10 जुलाई, 2009 के अपने पूर्व आदेश के आंशिक संशोधन में तदर्थ सीएएमपीए को वित्तीय वर्ष से वार्षिक रूप से जारी करने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है, इसके द्वारा प्राप्त/प्राप्य ब्याज में से, वर्ष की शुरुआत में प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के क्रेडिट में पड़ी मूल (एस. आई. सी.) राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि संबंधित राज्य सीएएमपीए को निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

i) तदर्थ सीएएमपीए द्वारा प्राप्त/प्राप्त किए जा रहे ब्याज का उपयोग करके धन जारी किया जाएगा। तदर्थ सीएएमपीए के पास पड़ी मूल राशि को जारी या हस्तांतरित या उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ii) वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, संरक्षण और विकास के लिए वनरोपण और अन्य कार्यों के विवरण वाली "संचालन की वार्षिक योजना" की प्राप्ति के बाद धन जारी किया जाएगा और संबंधित राज्य सीएएमपीए की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

iii) तदर्थ सीएएमपीए पहले जारी की गई निधियों के उपयोग पर विचार करने के बाद एक या अधिक किश्तों में राज्य सीएएमपीए को धन जारी करने के लिए स्वतंत्र होगा।

iv) राष्ट्रीय सीएएमपीए सलाहकार परिषद (एनसीएसी) उन गतिविधियों के बारे में 31 मार्च, 2014 से पहले दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देगी और जारी करेगी जिनके लिए सीएएमपीए निधि का उपयोग अनुमत नहीं होगा (जैसे कि विदेशी अध्ययन यात्राएं) और ऐसी गतिविधियाँ जिनके लिए सीएएमपीए निधि के उपयोग पर एक सीमा लागू होगी (जैसे कि वाहनों की खरीद और आवासीय/कार्यालय भवनों का निर्माण)। इन दिशा-निर्देशों का राज्य सीएएमपीए द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

v) राज्य सीएएमपीए और एमओईएफ "भारत में प्रतिपूरक वनीकरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट" में की गई टिप्पणियों पर तेजी से आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

vi) प्रतिपूरक वनीकरण, यदि कोई हो, से प्राथमिकता के आधार पर निपटा जाएगा और जिसके लिए संबंधित राज्य सीएएमपीए द्वारा वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) में पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा; और

राष्ट्रीय सी. ए. एम. पी. ए. सलाहकार परामर्शदाता (एन. सी. ए. सी.) को वार्षिक रूप से जारी की जाने वाली धनराशि एक लाख करोड़ रुपये तक बनी रहेगी। 50 करोड़ और बशर्ते कि पहले जारी की गई राशि का पर्याप्त उपयोग किया गया हो।

उपरोक्त सिफारिशें सी. ई. सी. द्वारा उस पृष्ठभूमि को निर्धारित करने के बाद दी गई हैं जिसमें सी. ए. एम. पी. ए. की स्थापना की गई थी।

31. श्री साल्वे ने ज्ञात किया कि अभिलेख के आधार पर न्यायालय मित्र ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों पर सीएएमपीए को सालाना लगभग रुपये 6000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। यह राशि प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सालाना मूल राशि रुपये 3000 करोड़) के लिए एकत्र की गई कुल राशि और सालाना सावधि जमा पर ब्याज के रूप में लगभग रुपये 3000 करोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। यह संचित मूलधन राशि के अतिरिक्त है जो पहले से ही सावधि जमा में निवेश की गई है। वे प्रस्तुत करते हैं कि वनीकरण सुनिश्चित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सीईसी की सिफारिश को प्रतिग्रहण करना करना उचित होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीईसी द्वारा प्रस्तावित योजना धीरे-धीरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को समय की अवधि में और स्थायी आधार पर धन जारी करने में वृद्धि करेगी। विद्वान न्यायालय मित्र ने हालांकि सुझाव दिया है कि जारी किए गए धन का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना चाहिए। पूरे मामले पर विस्तार से विचार करने पर, हम ऊपर पुनः प्रस्तुत सीईसी द्वारा की गई सिफारिशों को प्रतिग्रहण करना करते हैं। तथापि, हम निर्देश 11 (iv) को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

राष्ट्रीय सीएएमपीए सलाहकार परिषद (एनसीएसी) 1 मई, 2014 से पहले उन गतिविधियों के बारे में दिशानिर्देश जारी करेगी जिनके लिए सीएएमपीए निधि का उपयोग अनुमत नहीं होगा (जैसे कि विदेशी अध्ययन यात्राएं) और जिन गतिविधियों के लिए सीएएमपीए निधि के उपयोग की सीमा लागू होगी (जैसे कि वाहनों की खरीद और आवासीय/कार्यालय भवनों का निर्माण)। राज्य सीएएमपीए द्वारा इन दिशानिर्देशों का

सख्ती से पालन किया जाएगा। इसी को इस न्यायालय के निर्देशों के रूप में माना जाएगा। 10 जुलाई, 2009 के आदेश को तदनुसार संशोधित किया गया है।

32. तदर्थ सीएएमपीए को वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बाद से प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के ऋण में जमा मूल राशि के 10 प्रतिशत के बराबर वार्षिक राशि जारी करने की अनुमति है। उपरोक्त निधियों का विमोचन ऊपर उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

33. यह भी निर्देश दिया जाता है कि तदर्थ सीएएमपीए के पास उपलब्ध राशि में से कोई भी धन इस न्यायालय की अनुमति के बिना हस्तांतरित या उपयोग नहीं किया जाएगा। यह भी निर्देश दिया जाता है कि राष्ट्रीय सीएएमपीए सलाहकार परिषद सीएएमपीए द्वारा जारी धन का उपयोग करके किए जा रहे कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के संबंध में तीन महीने की अवधि के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी।

34. वार्ताकार आवेदनों का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के साथ किया जाता है।

देविका गुजराल

आई. ए. का निपटारा कर दिया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता मयंक चौधरी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।